

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
औरंगाबाद/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक:- 01-8-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- 26-2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	औरंगाबाद	01	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक-696, दिनांक-10.07.2017 के आलोक में (1) स्व० विनोद कुमार उर्फ बजरंगी, आश्रित-डौली देवी(पत्नी) ग्राम-बालाविगहा, पो0+थाना-हसपुरा, जिला-औरंगाबाद के भुगतान हेतु ।
2	समस्तीपुर	03	तदैव	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का ज्ञापांक-662,663 एवं 664 दिनांक-14.7.17 के आलोक में (1) स्व० श्रवण यादव, आश्रित-शिवजी यादव(पिता) ग्राम-जरही, पो0+थाना+प्रखंड-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर (2)स्व० राकेश कुमार राय, आश्रित-मेधनी देवी(माता) ग्राम-मउधनेशपुर दक्षिण, पो0+थाना+प्रखंड-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर (3) स्व० दिलीप कुमार राय, आश्रित रेखा देवी(पत्नी) ग्राम-अघलालपुर, पो0-दशहरा, थाना-पटोरी, प्रखंड-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु
3	मुजफ्फरपुर	04	तदैव	400000/- (चार लाख)	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग मुजफ्फरपुर का पत्रांक-754, 757, 773 एवं 775 क्रमशः दिनांक-05.12.2016, 06.12.16, 8.12.16 एवं 06.12.16 के आलोक में (1) स्व० अनिल कुमार सिंह, आश्रित-मु० ज्ञान्ती देवी (पत्नी) ग्राम-विशुनपुर लखन सेन, पो0-रामपुर मीना, थाना-बरुराज, प्रखंड-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर (2) स्व० सत्येन्द्र सहनी, आश्रित मु० सुनिता देवी (पत्नी) ग्राम-माधोपुर, पंचायत- बरियापुर, थाना+प्रखंड-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर (3) स्व० जयमंगल सहनी, आश्रित-मु० मालती देवी(पत्नी) ग्राम-बथना, थाना+प्रखंड-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर (4) स्व० नन्दु लाल शर्मा, आश्रित-मु० निर्मला देवी (पत्नी) ग्राम- परसोनीया, पो0-अंजनाकोट, थाना-बरुराज प्रखंड-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के भुगतान हेतु ।
	कुल	08		800000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 8,00,000/- (रूपये आठ लाख ) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

49

पटना, दिनांक

01-8-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

49

पटना, दिनांक-

01-8-17

\*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै.स.प्रे.सं.-264 (श्रम पक्ष) दिनांक-27.07.17 के आलोक में/प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

49

पटना, दिनांक

01-8-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।